

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जून 2023—ज्येष्ठ 22, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2023

क्रमांक - एफ 10-07/2022/1/4- राज्य शासन एतदद्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-03/2022/1/4 दिनांक 07 जून 2022 की कंडिका 6 (1) के अनुक्रम में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु) वर्ष 2022-23 के लिए निम्नानुसार विभागों की योजनाओं के KPIs निर्धारित किए जाते हैं:-

1. विभाग का नाम:- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

योजना का नाम:- आयुष्मान भारत

S No	KPI	Details	Weigh tage	KPI Calculation	Marking system	Scoring (Example)	Weighted score
1	KPI-1	Hospital, Admission (Scheme Uptake) (Treatment seeking behavior)	30%	% Scheme Uptake (Total AB claims patient district wise/ Total eligible beneficiares in District)*100	District with maximum % of Scheme uptake in FY 2022-23 will score highest score of 10 marks and so on	10	3
2	KPI-2	Public Hospital IPD Admission (Public hospital participation in Scheme)	35%	% Scheme Conversion in Public Hospital (AB IPD in District FY 2022-23/Total IPD FY 2022-23)*100	District with maximum % of Scheme conversion in FY 2022-23 will score highest score of 10 marks and so on	10	3.5
3	KPI-3	Grievance resolution	15%	% Grievance resolution (Grievances resolved/ Grievance Recieved)*100	District with maximum % of Grievance Resolution in FY 2022-23 will score highest score of 10 marks and so on	10	1.5
4	KPI-4	RKS Funds Utilization	20%	% RKS Utilization (RKS funds utilized / RKS funds received under AB Scheme)*100	District with maximum % of RKS funds utilization in FY 2022-23 will score highest score of 10 marks and so on	10	2
			100%				

2. विभाग का नाम:- महिला एवं बाल विकास विभाग

योजना का नाम:- लाडली लक्ष्मी योजना

S. No.	Parameter	Total	Criteria for allotment of points	Example	Remarks
1.	Ladli laxmi Registration against estimated target	20	= % of actual achievement against target * 20	If actual achievement =80% of target points allotted would be = $0.80*(20)=16$	Data to be obtained from Ladli Portal
2.	Improvement Sex Ratio At birth	20	If SRB is up to 900 than No point will be allotted. if achievement is between 901 to 1000 then = $(1 \text{ to } 100)*20/100$	If actual achievement = 910 then points allotted would be = $10*20/100=2$ if actual achievement = 1000 then points allotted would be = $100*20/100=20$	HMIS Data of Health Department
3.	Percentage of dropout school girls (class 5th to 8th)	20	= % of actual achievement against target * 20	Enrollment in 5th class = 1000 girls Enrollment in 8th class = 800 girls Dropout = 200 then points allotted would be = $800/1000*(20)=16$	Data to be obtained from school Shiksha Portal
4.	Enrollment status of girls in primary education	20	= % of actual achievement against target * 20	Total No. of eligible girls (age 06 years) = 1000 Enrollment in Class 1 = 800 then points allotted would be = $800/1000*(20)=16$	Data to be obtained from school Shiksha Portal
5.	Nutrition status of girls (Age 0 to 6 years)	20	Normal Nutritional Status (Girls) against total no. of registered girls *20	Total Registered Girls= 1000 Normal Nutritional Status girls = 800 then points allotted would be = $800/1000*(20)=16$	Data to be obtained from MPWCD MIS Portal
Note- Maximum allotted points are 20 in each parameter					

3. विभाग का नाम:- गृह विभाग

योजना का नाम:- Criminal Case Disposal

Key Performance Indicator's

क्र.	Key Performance Indicator's	कुल अंक
1	महिलाओं के प्रति अपराध (Crime against women)	15
2	बालकों के प्रति अपराध (Crime against children)	15
3	अजा/जजा वर्ग के प्रति अपराध (Crime against SC/ST)	15
4	हत्या एवं जघन्य हिंसक अपराध (Murder & Violent Crimes)	15
5	संपत्ति संबंधी अपराध (Property offences)	15
6	चिन्हित अपराध (Earmarked offences)	15
7	वारंटों का निष्पादन (Execution of warrants)	10

Key Performance Indicator's के evaluation matrix निम्नानुसार हैं:-

**KPIs क्र. - 1 महिलाओं के प्रति अपराध
(Crime against women)
(परिशिष्ट-1)**

Evaluation Matrix महिलाओं के प्रति अपराध (भादवि की धारा 304बी, 306, 354, 366, 370, 372-373, 376, 498, 509)	
--	--

परिशिष्ट-1 (ए)

महिलाओं के प्रति अपराधों के निराकरण (अंतिम प्रतिवेदन) का प्रतिशत	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X8

परिशिष्ट-1 (बी)

महिलाओं के प्रति किये गये ऐसे अपराधों के निराकरण (आरोप पत्र) का प्रतिशत जिनमें प्रारंभ में आरोपी अज्ञात था	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X2

परिशिष्ट-1 (सी)

दप्रसं की धारा 173 (1) में प्रावधानित अनुसार भादवि की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत महिलाओं के प्रति अपराधों का 2 माह की अवधि में निराकरण (आरोप पत्र)	अंक
60% से कम	0
60% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-60)/20 X5

परिशिष्ट-1 (डी)

परिशिष्ट	अधिकतम प्राप्तांक
1 (ए)	8
1 (बी)	2
1 (सी)	5
कुल मूल्यांकन अंक	15

**KPIs क्र. - 2 बालकों के प्रति अपराध
(Crime against children)
(परिशिष्ट-2)**

<p>Evaluation Matrix बालकों के प्रति अपराध (पॉक्सो अधिनियम 2012)</p>

परिशिष्ट-2 (ए)

बालकों के प्रति अपराधों के निराकरण (अंतिम प्रतिवेदन) का प्रतिशत	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X4

परिशिष्ट-2 (बी)

पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का दो माह की अवधि में अन्वेषण पूर्ण करने का प्रतिशत	अंक
60% से कम	0
60% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-60)/40 X5

परिशिष्ट-2 (सी)

विचारण अवधि के दौरान बालक, बालिका की बरामदगी का प्रतिशत	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	((प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X4

परिशिष्ट-2(डी)

बालकों के प्रति किये गये ऐसे अपराधों के निराकरण (आरोप पत्र) का प्रतिशत जिनमें प्रारंभ में आरोपी अज्ञात था	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X2

परिशिष्ट-2(ई)

परिशिष्ट	अधिकतम प्राप्तांक
2(ए)	4
2(बी)	5
2(सी)	4
2(डी)	2
कुल मूल्यांकन अंक	15

**KPIs क्र. - 3 अजा/जजा के प्रति अपराध
(Crime against SC/ST)
(परिशिष्ट-3)**

Evaluation Matrix अजा/जजा के प्रति अपराध (अजा/अजजा अत्याचार निवारण, अधिनियम 1985)
--

परिशिष्ट-3(ए)

दो माह की अवधि में अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X5

परिशिष्ट-3(बी)

अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों के निराकरण (अंतिम प्रतिवेदन) का प्रतिशत	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X8

परिशिष्ट-3(सी)

अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के ऐसे प्रकरणों के निराकरण (आरोप पत्र) का प्रतिशत जिनमें प्रारंभ में आरोपी अज्ञात था	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X2

परिशिष्ट-3(डी)

परिशिष्ट	अधिकतम प्राप्तांक
3(ए)	5
3(बी)	8
3(सी)	2
कुल मूल्यांकन अंक	15

**KPIs क्र. - 4 हत्या एवं जघन्य हिंसक अपराध
(Murder & Violent Crimes)
(परिशिष्ट-4)**

Evaluation Matrix हत्या एवं जघन्य हिंसक अपराध (भादवि की धारा 302, 304-308, 313, 316, 319-326)

परिशिष्ट-4(ए)

अपराधों के निराकरण (अंतिम प्रतिवेदन) का प्रतिशत	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X10

परिशिष्ट-4(बी)

ऐसे हत्या एवं जघन्य हिंसक अपराधों के निराकरण (आरोप पत्र) का प्रतिशत जिनमें प्रारंभ में आरोपी अज्ञात था	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X5

परिशिष्ट-4(सी)

परिशिष्ट	अधिकतम प्राप्तांक
4(ए)	10
4(बी)	5
कुल मूल्यांकन अंक	15

KPIs क्र. - 5 संपत्ति संबंधी अपराध

(Property offences)

(परिशिष्ट-5)

Evaluation Matrix

संपत्ति संबंधी अपराध/ चोरी, लूट एवं डकैती
(भादवि की धारा 379-382, 384-389, 392-397, 399-402)

परिशिष्ट-5(ए)

चोरी के प्रकरणों में आरोप पत्र का प्रतिशत	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X5

परिशिष्ट-5(बी)

लूट एवं डकैती के प्रकरणों में आरोप पत्र का प्रतिशत	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X5

परिशिष्ट-5(सी)

चोरी, लूट एवं डकैती के प्रकरणों में आरोप पत्र का प्रतिशत	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X5

परिशिष्ट-5(डी)

परिशिष्ट	अधिकतम अंक
5(ए)	5
5(बी)	5
5(सी)	5
कुल मूल्यांकन अंक	15

**KPIs क्र. - 6 चिन्हित अपराध
(Earmarked offences)
(परिशिष्ट-6)**

Evaluation Matrix चिन्हित अपराध

परिशिष्ट-6(ए)

चिन्हित प्रकरणों में आरोप पत्र का प्रतिशत	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X10

परिशिष्ट-6(बी)

प्रकरणों को चिन्हित करने का प्रतिशत (अ-वर्ग के जिलों के लिए 50 प्रकरण, ब-वर्ग के लिए 25 प्रकरण तथा स-वर्ग के जिलों के लिए 15 प्रकरण के लक्ष्य के अनुसार)	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X5

परिशिष्ट-6(सी)

परिशिष्ट	अधिकतम अंक
6(ए)	10
6(बी)	5
कुल मूल्यांकन अंक	15

**KPIs क्र. - 7 वारंटों का निष्पादन
(Execution of warrants)
(परिशिष्ट-7)**

Evaluation Matrix वारंटों का निष्पादन

परिशिष्ट-7(ए)

गिरफ्तारी वारंटों के निष्पादन का प्रतिशत	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X5

परिशिष्ट-7(बी)

समंस/जमानती वारंटों के निष्पादन का प्रतिशत	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X5

परिशिष्ट-7(सी)

स्थायी वारंटों के निष्पादन का प्रतिशत	अंक
80% से कम	0
80% से अधिक	(प्राप्त प्रतिशत-80)/20 X5

परिशिष्ट-7(डी)

परिशिष्ट	अधिकतम प्राप्तांक
7(ए)	5
7(बी)	5
7(सी)	5
कुल मूल्यांकन अंक	15

4. विभाग का नाम:- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

योजना का नाम:- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Mukhyamantri Udyam Kranti Yojna)

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए निम्नानुसार KPI का निर्धारण किया जाता है:-

KPI-1	योजनांतर्गत वार्षिक भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृत (sanctioned) प्रकरणों का प्रतिशत (20 Marks)
KPI-2	योजनांतर्गत वार्षिक भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध वितरित (disbursed) प्रकरणों का प्रतिशत (50 Marks)
KPI-3	औसत वितरित ऋण राशि (सबसे अधिक औसत ऋण राशि वाले जिले के 30 Marks तथा तदनुसार शेष जिलों के यथानुपात आधार पर Marks निर्धारित होंगे) (30 Marks)

5. विभाग का नाम:- ऊर्जा विभाग

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु) के लिए प्रदेश की तीनों विद्युत् वितरण कंपनियों हेतु KPI

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार हेतु प्रदेश की तीनों विद्युत् वितरण कंपनियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले वृत्तों / संभागों का नामांकन निम्नलिखित मुख्य निष्पादन संकेतक (Key Performance Indicators) के आधार पर किया जायेगा :-

क्र.	KPI	संकेतक प्रकार*	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1	समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियाँ (%)	नकारात्मक	35	
2	प्रति यूनिट नकद राजस्व में वृद्धि (₹/यूनिट) [विगत वर्ष की तुलना में]	सकारात्मक	30	
3	सिस्टम औसत अवरोध अवधि सूचकांक System Average Interruption Duration Index- SAIDI (संख्या)	नकारात्मक	10	
4	सिस्टम औसत अवरोध आवृत्ति सूचकांक System Average Interruption Frequency Index- SAIFI (संख्या)	नकारात्मक	10	
5	वितरण ट्रांसफार्मर फैल्योर दर (%)	नकारात्मक	15	
	कुल		100	

*नकारात्मक संकेतक अर्थात् "जितना कम उतना बेहतर", तथा सकारात्मक संकेतक अर्थात् "जितना अधिक उतना बेहतर"

2/ प्रत्येक KPI के मूल्यांकन के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वृत्त / संभाग को उस KPI के विरुद्ध अधिकतम अंक दिए जाएंगे तथा अन्य वृत्तों / संभागों को समतुलनात्मक आधार पर समानुपातिक (proportionate) अंक दिए जाएंगे। पुरस्कार हेतु नामांकन का निर्णय कुल प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

3/ तीनों विद्युत् वितरण कंपनियों अंतर्गत आने वाले सभी वृत्तों/ संभागों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले वृत्त (Circle) तथा संभाग (Division) को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए नामित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, सचिव.